

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक 57/एक-दो-1/82

सीहोर, दिनांक. 18/12/25

मैं, प्रकाश चंद्र आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर म0प्र0 व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा-15 उपधारा (1) एवं भा.ना.सु.संहिता की धारा 214, 422(2) एवं 441 (द.प्र.सं. 1973 की धारा 194, 381 (2) एवं 400) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल कार्य विभाजन आदेश क्रं. 12 सीहोर दिनांक 17.02.2025 एवं इसके संलग्न अनुलग्न "अ" "ब" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:-

1- सरल क्रमांक 3 के समक्ष कॉलम नं. 3 में अंकित "तहसील सीहोर, श्यामपुर, इछावर", के समक्ष कॉलम नं. 4 के अनु.क्रं. 1 से 8 तक के समक्ष कॉलम नं. 5 में अंकित टीपों को विलोपित किया जाकर, सरल क्रं. 5 के समक्ष निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु.क्रं.	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
5	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (श्री महेश कुमार वर्मा)	तहसील सीहोर, श्यामपुर, इछावर	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रुपये 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (एक करोड़ एक से पांच करोड़ रुपये) तक हो।
			(2)	प्रोविंशियल इन्सोल्वेंसी एक्ट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रुपये, 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (एक करोड़ एक से पांच करोड़ रुपये) तक
			(3)	लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रुपये 500/- से अधिक हो।
			(4)	व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका कार्यवाही/अपीलें जो इंडियन आर्बीट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996/म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एक्ट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।
			(5)	अभ्यावेदन-THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013' दन के अंतर्गत प्रकरण।
			(6)	चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सीहोर, श्यामपुर व इछावर क्षेत्र से संबंधित।

स.कं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु.कं.	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4	5
			(7)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीलें / आवेदन / अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
			(8)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण।

2- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्रमांक 19 पर अंकित टिप्पणी क्रं. 12 में निम्नानुसार टीप अंकित की जाती है" मुख्यालय सीहोर में कार्यरत प्रथम जिला न्यायाधीश, सीहोर को पॉक्सों एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई किये जाने हेतु विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट) सीहोर के पद पर नामांकित किया गया है एवं विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर के न्यायालयों के समस्त प्रकार के सिविल कार्य अन्य न्यायालयों में अंतरित किया गये है एवं उनके न्यायालयों द्वारा निराकृत व्यवहार वाद, व्यवहार अपीले, निष्पादन प्रकरण, क्लेम प्रकरण, आवेदन, अभ्यावेदन तथा याचिकाएं एवं अन्य कार्यवाहियां से उत्पन्न, कार्यवाहियों की सुनवाई, द्वितीय जिला न्यायाधीश, सीहोर के द्वारा की जावेगी।

3- कार्य विभाजन आदेश के पृष्ठ क्रमांक 19 पर अंकित टिप्पणी क्रं. 14 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.05.2025 के पैरा क्रमांक 4 में श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर के स्थान पर श्री महेश कुमार वर्मा, को पढ़ा जावे।

4- मूल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 17.02.2025 के संलग्न अनुलग्न "अ" के क्रं.4 को विलोपित किया जाकर, क्रं. 2 एवं 3 के समक्ष निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है-

स.क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	क्रॉ. नं. 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	क्रॉ. नं. 2 व 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	क्रॉ.नं. 2, 3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
1	2	3	4	5
2	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में तहसील आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश,
3	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अति. न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में तहसील आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश,

5- मूल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 17.02.2025 के संलग्न अनुलग्न "ब" के कं.1 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है-

स.क्र.	रिक्त न्यायालय का नाम	प्राधिकृत न्यायिक अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1-प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓ सीहोर

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-2-1 / 82,
प्रतिलिपि:-

सीहोर, दिनांक

- 1-समस्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर/आष्टा
- 2-अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सीहोर
- 3-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, सीहोर
की ओर उक्त संशोधित आदेश सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुविभाग सीहोर की ओर उक्त संशोधित आदेश सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✓ सीहोर